

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@cbn.in		
F.No. II(3)4/Estt/S.I. to Insp./2024	- 11 / 17	Dated, the 15 March, 2024

Esstt. Order No. 11 /2024

As per the findings of the DPC for promotion to the grade of Inspector from the post of Sub-Inspector for the years 2024 held at the office of Narcotics Commissioner, Gwalior on 06.03.2024, the following official is hereby promoted in the grade of Inspector (Group 'B' Non-Gazetted), **on ad-hoc basis**, in Level-7 of pay matrix Rs. 44,900/- to 1,42,400/-, with effect from the date he assumes charge of the higher post.

S. No.	Name of the officers (Sh.)	Remark	DPC Year
1.	M. S. Pathak	Fit against his sealed cover UR Vacancy on ad-hoc basis subject to outcome of the case pending against him.	2024

2. The above official should note that:

(a) If he does not accept the offer of ad- hoc promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his respective place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Inspector, for a period of one year.

(b) The officer is promoted on ad-hoc basis against his sealed cover vacancy. He will not claim any seniority and will be liable for reversion subject to outcome of the case pending against him.

(c) The ad-hoc promotion, in the higher grade, in respect of the officer shall take effect from the date he takes over the charge of higher post.

(d) He is required to submit within one month of ad-hoc promotion, his option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, if he has been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, his pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

4. His regular posting will be decided in due course. Till then he shall assume the charge of the promotional post on in situ (as is where is) basis.

This issues with the approval of the Narcotics Commissioner.

JCC
15.03.2024

(Brijendra Chowdhary)

Dy. Narcotics Commissioner

Shri.....
.....
.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PS to DNC & PA to ANC, CBN, Gwalior
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. Superintendent, Opium/ Vig/ Prev/ Tech/ Prec./Narcotics/
Adm./Accounts & Pay Bill/ Estt./ Online/ Hindi, Hqrs. Gwalior.
8. Guard File/Estt. Sec.(Roaster Seat)/Website.

JCC
15.03.2024

(Brijendra Chowdhary)

Dy. Narcotics Commissioner



दिनांक, 15 मार्च, 2024

आदेश संख्या 11/2024

वर्ष 2024 के लिए उप-निरीक्षक के पद से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर के कार्यालय में दिनांक 06.03.2024 को आयोजित डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी को एतद्वारा निरीक्षक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के पद पर, तदर्थ आधार पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 रुपये 44,900/- से 1,42,400/- में, उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

क्रमांक	अधिकारियों का नाम (श्री)	टिप्पणी	डीपीसी वर्ष
1	एम. एस. पाठक	उनके सीलबंद लिफाफे में उनके विरुद्ध लंबित मामले के परिणाम के अधीन तदर्थ आधार पर रिक्ति अंकित है।	2024

1

2. उपरोक्त अधिकारी ध्यान दें कि:

(क) यदि वह आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर तदर्थ पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर इयूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति से एक वर्ष की अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

(ख) अधिकारी को उसकी सीलबंद लिफाफे वाली रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है। वह किसी वरिष्ठता का दावा नहीं करेगा और उसके विरुद्ध लंबित मामले के परिणाम के अधीन उसे पद से हटाया जा सकता है।

(ग) अधिकारी के संबंध में उच्च ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति, उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि पर वह उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करता है।

(घ) उसे तदर्थ पदोन्नति के एक महीने के भीतर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 जुलाई 2017 के कार्यालय जापन संख्या 13/02/2017- स्था.(वेतन-1) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि, यदि उसे एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, तो उसका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.1999 के कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्था.(डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधानों और एमएसीपी के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4. उसकी नियमित पोस्टिंग पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा। तब तक वे पदोन्नति पद का कार्यभार यथावत (जहाँ है जैसा है) आधार पर संभालेंगे।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(बृजेन्द्र चौधरी)

उप-नारकोटिक्स आयुक्त

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मुख्य अवर आयुक्त, राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नई दिल्ली।
2. उप-नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर।
5. डीएनसी के निजी सचिव एवं एएनसी के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर
7. अधीक्षक, अफीम/विग/प्रीव/टेक्निक/प्रीक./नारकोटिक्स/प्रशासन/लेखा एवं वेतन बिल/स्थापना/ऑनलाइन/हिंदी, मुख्यालय ग्वालियर।
8. गार्ड फाइल/स्थापना अनुभाग (रोस्टर सीट)/वेबसाइट।



(बृजेन्द्र चौधरी)

उप-नारकोटिक्स आयुक्त